

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/2099...../

जबलपुर, दिनांक 13 / 03 / 2024

श्री नारायण सिंह, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 08.02.2024 से बिना सूचना अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण आगामी आदेश तक वेतन भुगतान रोके जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -  
(संजय कुमार सिंह)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/2100...../

जबलपुर, दिनांक 13 / 03 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री नारायण सिंह, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

116  
4-3-24  
(संजय कुमार सिंह)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)